

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 36/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि..(अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के भीतर आने वाली, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण के माल को जब भारत में आयात किया जाता है, तो उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उदग्रहणीय सीमाशुल्क में से, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है और वित्त अधिनियम की धारा 110 के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त समाज कल्याण अधिभार, से छूट देती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2504	प्राकृतिक ग्रेफाइट	2.5%
2.	2505	प्राकृतिक रेत	शून्य
3.	2506	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अलावा); क्वार्ट्जाइट	2.5%
4.	25309091	स्ट्रान्शियम सल्फेट (प्राकृतिक अयस्क)	शून्य
5.	26030000	कापर अयस्क और सांद्र	शून्य
6.	26050000	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र	शून्य
7.	26090000	टिन अयस्क और सांद्र	शून्य

8.	26110000	टंगस्टन अयस्क और सांद्र	शून्य
9.	2613	मालिब्डेनम अयस्क और सांद्र	शून्य
10.	26151000	जर्कोनियम अयस्क और सांद्र	शून्य
11.	261590	हेफनियम अयस्क और सांद्र	शून्य
12.	26159010	वैनेडियम अयस्क और सांद्र	शून्य
13.	26159020	नायोबियम या टैंटेलम अयस्क और सांद्र	शून्य
14.	2617	रैंटिमनी अयस्क और सांद्र	शून्य
15.	28045020	टेल्यूरियम	शून्य
16.	28046100	सिलिकन, जिसमें सिलिकन का भार कम से कम 99.99% है	शून्य
17.	28046900	अन्य सिलिकन	शून्य
18.	280490 00	सिलेनियम	शून्य
19.	28053000	क्षार या क्षारीय पृथ्वी धातुएं, दुर्लभ-पृथ्वी धातुएं, स्कैंडियम और येट्रियम, चाहे मिश्रित हों या नहीं	शून्य
20.	28112200	सिलिकन डाईक्साइड	2.5%
21.	28152000	पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड	शून्य
22.	28164000	स्ट्रान्शियम और बेरियम के आक्साइड्स, हाइड्रॉक्साइड और पैरोक्साइड	शून्य
23.	28220010	कोबाल्ट आक्साइड	शून्य
24.	28220020	कोबाल्ट हाइड्रॉक्साइड	शून्य
25.	28220030	वाणिज्यिक कोबाल्ट आक्साइड	शून्य
26.	28252000	लिथियम आक्साइड और हाइड्रॉक्साइड	शून्य
27.	282530	वैनेडियम आक्साइड और हाइड्रॉक्साइड	शून्य
28.	28256010	जर्मेनियम आक्साइड	शून्य
29.	282570	मालिब्डेनम आक्साइड और हाइड्रॉक्साइड	शून्य
30.	28258000	रैंटिमनी आक्साइड	शून्य
31.	28259020	केडमियम आक्साइड	शून्य
32.	28273500	निकल के क्लोराइड	शून्य
33.	28273930	स्ट्रान्शियम क्लोराइड	शून्य
34.	28332400	निकल के सल्फेट	शून्य
35.	28342100	पोटेशियम के नाइट्रेट	शून्य
36.	28369100	लिथियम कार्बोनेट	शून्य
37.	28369200	स्ट्रान्शियम कार्बोनेट	शून्य
38.	28419000	ओक्सोमेटेलिक या पेरोक्सोमेटेलिक अम्ल के रिनियम या बेरीलियम साल्ट	शून्य
39.	2846	दुर्लभ भू धातु के संघटक, अकार्बनिक या	शून्य

		कार्बनिक	
40.	29181530	बिस्मथ सिट्रेट	शून्य
41.	3801	कृत्रिम ग्रेफाइट, कोलाइडल या अर्ध-कोलाइडल ग्रेफाइट, पेस्ट, ब्लॉक के रूप में अन्य ग्रेफाइट या कार्बन पर आधारित ग्रेफाइट, प्लेट्स और अन्य सेमी-मनुफाक्चुरेस	2.5%
42.	8001	अपरिष्कृत टिन	शून्य
43.	81019400	सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और छड़ों सहित अपरिष्कृत टंगस्टन	शून्य
44.	81029400	अपरिष्कृत मोलिब्डेनम, जिसमें बार और छड़ें भी शामिल हैं, केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त किए हुए	शून्य
45.	810320	अपरिष्कृत टैंटलम, जिसमें केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त किये हुए बार और छड़ें भी शामिल हैं	शून्य
46.	81052020	अपरिष्कृत कोबाल्ट	शून्य
47.	81061010	अपरिष्कृत बिस्मथ	शून्य
48.	81092100	अपरिष्कृत जिंकोनियम, जिसमें वजन के हिसाब से 500 भाग जिंकोनियम पर 1 भाग से कम हेफनियम है	शून्य
49.	81101000	अपरिष्कृत ऐंटीमनी, पाउडर	शून्य
50.	81121200	अपरिष्कृत बेरिलियम, पाउडर	शून्य
51.	811231	हेफनियम- अपरिष्कृत, अपशिष्ट और स्क्रैप, पाउडर	शून्य
52.	81124110	अपरिष्कृत रिनियम	शून्य
53.	81126910	अपरिष्कृत केडमियम, पाउडर	शून्य
54.	81126920	परिष्कृत केडमियम	शून्य
55.	81129200	अपरिष्कृत, अपशिष्ट और स्क्रैप, पाउडर:- (i) गेलियम (ii) जर्मेनियम (iii) इंडियम (iv) नायोबियम (v) नेडियम	

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं.334/03/2024-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार